BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 05 फरवरी, 2025 **थाना सिकन्द्राबाद**

12 घण्टे के अन्दर हत्या/लूट की घटना का सफल अनावरण, घटना में संलिप्त 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये शत प्रतिशत 1,13,499/- रुपये, आभूषण व अवैध असलहा कारतूस बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 04.02.2025 को वादी योगेश पुत्र भारतपाल सिंह निवासी ग्राम महेपा थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर ने थाना सिकन्द्राबाद पर तहरीर दी कि वह दिनांक 03.02.2025 को परिवार सहित अपने भतीजे की शादी में गया था। उसके पिताजी घर पर अकेले थे। रात्रि में अज्ञात बदमाश चोरी करने के उद्देश्य से जाली काटकर घर में घुस गये और उसके पिताजी की गला दबाकर हत्या कर दी तथा घर से कुछ सामान व रुपये भी गायब है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-114/25 धारा 333,103(1),309(6) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के क्रम में जांच/छानबीन में 03 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये जिन्हें आज दिनांक 05.02.2025 को थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा लूटे गये रुपये, आभूषण व अवैध असलहा, कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-116/25 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1- पवन पुत्र मुकेश निवासी ग्राम महेपा जागीर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

2- शिवम पुत्र मनवीर निवासी उपरोक्त

3- सौरभ पुत्र हरवीर निवासी उपरोक्त

बरामदगी-

1. 1,13,499/- रुपये(शत-प्रतिशत)
2. 01 जंजीर(पीली धातु), 02 अंगुठी(पीली धातु), 01 कमरधनी(सफेद धातु), 30 लच्छे(सफेद धातु), 03 जोडी पाजेब(सफेद धातू), 04 सिक्के(सफेद धातू), 01 मफलर (शत-प्रतिशत)
3. 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस
4. 01 अवैध चाकू

घटना का विवरणः- **अभियुक्तों ने पूछताछ मे बताया कि अभियुक्त सौरभ को कही से जानकारी हुई कि भारतपाल के घर में काफी रुपया रखा है तथा इनका परिवार दिनांक 03.02.2025 को शादी में जायेगा। अभियुक्तो द्वारा दिनांक 03-02-2025 को मृतक भारतपाल के घर में चोरी करने की योजना बनायी तथा जब दिनांक 03.02.2025 को भारतपाल का परिवार शादी में गया हुआ था तब दिनांक 03/04-02-2025 की रात्रि में योजनानुसार अभियुक्त पवन व शिवम खिडकी की जाली काटकर अंदर घर में घुस गये तथा अंदर से कुंडी खोल दी व बाहर निगरानी कर रहा सौरभ भी अंदर आ गया, तभी मृतक भारतपाल जाग गया। अभियुक्त पवन व शिवम ने मृतक भारतपाल को चारपाई पर ही पकड लिया। जब उसने विरोध किया तो रजाई व मफलर से उसका मुंह व गला दबाकर हत्या कर दी तथा मृतक की कमर में बंधी हुई चाबी निकालकर कमरे का ताला खोलकर वहां रखे रुपये व आभूषण लूट कर फरार हो गये।**

अभियुक्त पवन का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-114/25 धारा 333,103(1),309(6),317(2),61(1)(क),3(5)बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-116/25 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त शिवम का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-114/25 धारा 333,103(1),309(6),317(2),61(1)(क),3(5) एनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-116/25 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त सौरभ का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-114/25 धारा 333,103(1),309(6),317(2),61(1)(क),3(5) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री अनिल कुमार शाही प्रभारी निरीक्षक थाना सिकन्द्राबाद
2. निरीक्षक सरजेश कुमार, उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार सोलंकी, उ0नि0 सोनू बाबू, उ0नि0 सौरभ शर्मा, उ0नि0 शिवम कुमार, उ0नि आनन्द कुमार
3. है0का0 भुपेन्द्र कुंन्डु, का0 रोहित, का0 प्रशान्त कुमार, का0 राहुल कसाना

मीडिया सेल बुलंदशहर